



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112020-222899
CG-DL-E-02112020-222899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3488]
No. 3488]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2020/ कार्तिक 11, 1942
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2020/KARTIKA 11, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

(आय-कर)

का.आ. 3952(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयंभू धन निधि अर्थात्, एमआईसी रेडवुड 1 आरएससी लिमिटेड, अबु धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निर्धारिती” कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में किए गए विनिधानों (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त निवेश” कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--

- (i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तारीख, जिसको उक्त विनिधान किए गए हैं, से उस तारीख, जिसको विनिधान परिसमाप्त किए गए हैं, में आने वाले सभी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा।

- (ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपनी लेखाबहियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी लेखापाल से करवाएगा और इस अधिसूचना से उपाबद्ध उपाबंध में दिए गए प्ररूप में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 - (iii) निर्धारिती एक त्रैमासिक विवरण, प्रत्येक तिमाही के अंत से एक मास के भीतर, परिपत्र सं. 2020 का 15, तारीख 22 जुलाई, 2020 से उपाबद्ध प्ररूप 2, जिसे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कर नीति और विधान प्रभाग) द्वारा फा.सं. 370142/26/2020-टीपीएल द्वारा जारी किया गया था, में उक्त तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में इलैक्ट्रानिकी रूप में जारी करेगा।
 - (iv) निर्धारिती ऐसे विनिधानों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा रखेगा।
 - (v) निर्धारिती का अबु धाबी सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व में रहना और नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा और निर्धारिती पर, किसी भी समय, किसी और व्यक्ति का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
 - (vi) निर्धारिती का अबु धाबी सरकार की विधि के अधीन विनियमित होना जारी रहेगा।
 - (vii) निर्धारिती के उपार्जनों का या तो अबु धाबी सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाएगा ताकि उपार्जनों के किसी भाग को किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाए।
 - (viii) (क) निर्धारिती के पास अबु धाबी सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी प्रकार का ऋण, उधार, अग्रिम, जमा या विनिधान नहीं होगा और न वह लेगा।
(ख) निर्धारिती अबु धाबी सरकार की आधिक्य निधि का ही केवल विनिधान करेगा और वह सरकार उक्त विनिधान करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बाजार या किसी अस्तित्व से कोई ऋण, उधार आदि नहीं लेगी।
 - (ix) निर्धारिती की आस्ति विघटन पर अबु धाबी सरकार में विहित होगी।
 - (x) निर्धारिती उक्त विनिधान या उक्त विनिधान की प्रकृति से भिन्न कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप, चाहे भारत में या भारत से बाहर, न तो करता है और न ही हाथ में लेगा।
 - (xi) निर्धारिती के पास, विनिधान प्राप्तकर्ता के साथ, उक्त विनिधान की संरक्षा के लिए मानीटरी तंत्र हो सकेगा, किंतु वह विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों का प्रबंध नहीं करेगा या विनिधान प्राप्तकर्ता कंपनी में कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति नहीं करेगा या विनिश्चय करने की प्रक्रिया में या उनको नियंत्रित करने में भाग नहीं लेगा।
 - (xii) निर्धारिती स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति के लिए आस्ति प्रबंधन कार्यकलाप नहीं करेगा।
2. उक्त खंड (23चड) और इस अधिसूचना में यथा उपदर्शित किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट से अयोग्य ठहराएगा।
 3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट का दावा करने वाली स्वयंभू धन निधि द्वारा
फाइल की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग I

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (निर्धारिती की स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या सहित नाम और पता), जिनकी विशिष्टियां भाग II में दी गई हैं, की कानूनी लेखापरीक्षा अधिसूचना सं. तारीख, जो राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की अपेक्षाओं के अनुसार, *मेरे/हमारे/मैसर्स द्वारा संचालित की गई थी।

2. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा लेखा बहियों की जांच के अनुसार, जिसके अंतर्गत सुसंगत दस्तावेज *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण भी हैं, यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) में अधिकथित सभी शर्तों और निर्धारिती को उक्त खंड (23चड) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए स्वयंभू धन निधि के नाते निर्धारिती को विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना में उपबंधित सभी शर्तों का अनुपालन किया है/ नहीं किया है।

2.1 *वह शर्तें, जिनका निर्धारिती ने अनुपालन नहीं किया है, नीचे दिए अनुसार हैं:

(क)

(ख)

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत *मुझे/हमें दिए गए सुसंगत दस्तावेज और स्पष्टीकरण हैं, भाग II में दी गई विशिष्टियां निम्नलिखित पर्यवेक्षणों, अर्हताओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, अर्थात् :-

(क)

(ख)

भाग II

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैन/आधार :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय :
5. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की रकम:

स्थान :

तारीख :

** (हस्ताक्षर और मोहर/हस्ताक्षरकर्ता की मुहर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पूरा पता

सदस्यता संख्या.....

यूडीआईएन.....

टिप्पण :

1. *लोप करें, यदि लागू न हो/जो भी लागू न हो।
2. इस रिपोर्ट पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में आने वाले "लेखापाल" पद के अर्थात्गत किसी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

[अधिसूचना सं. 89/2020/फा. सं. 370133/16/2020-टीपीएल]

अंकित जैन, अवसर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2020

(INCOME-TAX)

S.O. 3952(E).—In exercise of powers conferred by sub-clause (vi) of clause (b) of the *Explanation* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the “Act”), the Central Government hereby specifies the sovereign wealth fund, namely, the MIC Redwood 1 RSC Limited, Abu Dhabi, United Arab Emirates, (hereinafter referred to as “the assessee”) as the specified person for the purposes of the said clause in respect of the investment made by it in India on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette but on or before the 31st day of March, 2024 (hereinafter referred to as “said investments”) subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

- (i) the assessee shall file return of income, for all the relevant previous years falling within the period beginning from the date in which the said investment has been made and ending on the date on which such investment is liquidated, on or before the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (ii) the assessee shall get its books of account audited for the previous years referred to in clause (i) by any accountant specified in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act and furnish the Audit Report in the format annexed as Annexure to this notification herewith at least one month prior to the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act.
- (iii) the assessee shall furnish a quarterly statement within one month from the end of each quarter electronically in Form II as annexed to the Circular No 15 of 2020, dated the 22nd July, 2020 with F. No. 370142/26/2020-TPL, issued by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes (Tax Policy and Legislation Division), in respect of each investment made by it during the said quarter;
- (iv) the assessee shall maintain a segmented account of income and expenditure in respect of such investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act;
- (v) the assessee shall continue to be owned and controlled, directly or indirectly, by the Government of the Abu Dhabi and at no point of time any other person should have any ownership or control, directly or indirectly, in the assessee;
- (vi) the assessee shall continue to be regulated under the law of the Government of Abu Dhabi;
- (vii) the earnings of the assessee shall be credited either to the account of the Government of Abu Dhabi or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures to any private person;
- (viii) (a) the assessee does not and shall not have any loan, borrowing, advances, deposits or investment in it of any kind directly or indirectly from any person other than the Government of the Abu Dhabi;
(b) The assessee shall only invest the surplus fund of the Government of Abu Dhabi and that Government shall not raise any loan, debt etc. directly or indirectly, from the market or any entity to make the said investment;
- (ix) the asset of the assessee shall vest in the Government of Abu Dhabi upon dissolution;

- (x) the assessee does not and shall not undertake any commercial activity whether within or outside India other than the said investment or investment of similar nature;
 - (xi) the assessee shall have monitoring mechanism to protect the said investment with investee but shall not manage day to day operations of the investee or appoint executive directors in the investee company or participate in the decision making process or control them; and
 - (xii) the assessee shall not carry out asset management activity for any person other than itself.
2. Violation of any of the conditions as stipulated in the said clause (23FE) and this notification shall render the assessee ineligible for the tax exemption.
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

ANNEXURE

Audit report to be filed by the Sovereign Wealth Fund claiming exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income -tax Act, 1961

Part I

*I/we report that the statutory audit of M/s. (Name and address of the assessee with Permanent Account Number or Aadhaar Number), the particulars of which are given in Part II was conducted by *me/ us/ M/s. as per the requirement under the Notification No dated published in the Official Gazette on

2. In *my/ our opinion and to the best of *my/ our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, it is certified that the assessee *has/ has not complied with the conditions as laid down under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 and those provided in the said notification specifying the assessee being the Sovereign Wealth Fund as specified person for the purposes of claiming exemption under the said clause (23FE).

2.1 *The conditions not complied with by the assessee are as under:-

- (a)
- (b)

3. In *my/our opinion and to the best of *my/ our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the Part II are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any, namely:-

- (a)
- (b)

Part II

- 1. Name of the Assessee :
- 2. PAN/ AADHAAR :
- 3. Previous Year :
- 4. Total Income of the Assessee during the previous year:
- 5. Amount of income eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 :

Place:

Date:

**(Signature and stamp/ Seal of the signatory)

Name of the signatory

Full address

Membership No.....

UDIN.....

Notes:

3. *Delete whichever is not applicable.
4. This report has to be signed by an accountant falling within the meaning of expression “accountant” as provided in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 89/2020/ F. No. 370133/16/2020-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)